न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या : 33/2014

1. किशन गोपाल पुत्र मोहन पुरी
2. चन्द्र कलां पत्नि किशनगोपाल
3. रोशनबाई पत्नि हेमराज
4. हेमराज पुत्र मोहन पुरी

} जातियान गोस्वामी निवासीगण रावलजावल तहसील मांगरोल जिला बारां

....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. रामचरण पुत्र सूरजमल
2. नरेन्द्र पुत्र रामचरण
3. सुरेन्द्र पुत्र रामचरण

} जाति गोस्वामी निवासी रावलजावल तहसील मांगरोल जिला बारां

4. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री हरीश राजावत

वकील अप्रार्थी कम 1 : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांकः 11.03.2014 निर्णय दिनांक : 13.09.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी वाके माल रावलजावल तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं0 273 रकबा 0.37 है0 वाके माल मऊ जो कि मउ व रावलजावल के काकड पर स्थित है जिसकी किस्म चारागाह है जिसमें प्रार्थी का रास्ता है। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो पर आते जाते है। अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 ने उक्त चारागाह भूमि पर जबरदस्ती ताकत के बल पर गेहूं की फसल बो दी है जिससे प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर तार बाड कर अतिक्रमण कर लिया है जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो गया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी कम 1 ता 3 को खसरा नं0 273 रकबा 0.37 है0 वाके माल मऊ किस्म चारागाह भूमि से बेदखल कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का रास्ता लाल स्याही से अंकित करने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 11.03.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लिहाज हुसैन अंसारी द्वारा दिनांक 08.02.2016 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 4 तहसीलदार (लैण्ड

को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड
राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2017/2277 दिनांक
017 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मऊ में
जी खसरा नं0 273 रकबा 0.37 है0, भूमि किस्म चारागाह रेकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर रामचरण पुत्र
रजमल जाति गोस्वामी नि0 रावलावल का अतिक्रण काश्त करता था तथा समीपवर्ती ग्राम रावलजावल की
सीमा स्थित है जिसमें खसरा नं0 587, 588, 589 में जाने के लिए रास्ता था मुताबिक रेकार्ड कोई रास्ता
नही है अतिक्रमी रामचरण पुत्र सूरजमल गोस्वामी का ग्राम मऊ की आराजी खसरा नं0 237 रकबा 0.37 है0
भूमि से दिनांक 17.11.2016 को मौके पर कब्जा हटा दिया गया है उक्त भूमि मौके पर पडत(खाली) पडी
हुई है। प्रार्थीगण किशनगोपाल पुत्र मोहनपुरी वगै0 गोस्वामी नि0 रावलजावल को अपने खेतो में जाने के
लिए कोई परेशानी नही है।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की आराजी
वाके माल रावलजावल तहसील मांगरोल में स्थित में आने जाने हेतु ग्राम मऊ में आराजी खसरा नं0 273
रकबा 0.37 है0, भूमि किस्म चारागाह अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने
हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का
पैरोकार है ने रिपोर्ट में अंकन किया की दिनांक 17.11.2016 को मौके पर ग्राम मऊ में आराजी खसरा नं0
273 रकबा 0.37 है0 पर कब्जा हटा दिया गया है उक्त भूमि मौके पर पडत(खाली) पडी हुई है। प्रार्थीगण
किशनगोपाल पुत्र मोहनपुरी वगै0 गोस्वामी नि0 रावलजावल को अपने खेतो में जाने के लिए कोई परेशानी
नही है। अतः मुताबिक तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल मौके पर विवादित भूमि पर किसी प्रकार का
अतिक्रमण नही है एवं प्रार्थीगण को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नही है। अतः पत्रावली में किसी
प्रकार की कार्यवाही शेष नही है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 251(ए) ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में